HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 1376/2024

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 1825/2023

Kajod S/o Shri Ratan, Aged About 23 Years, R/o Bagariya Ki Dhani, Dethani, P.s. Pachewar, District Tonk (At Present Confined In Central Jail Ajmer)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Poonam Chand Sharma with Mr. Awadesh Purohit
For Respondent(s)	:	Mr. Jaiprakash Tiwari Mr. Ramswaroop Meena

---

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

25/02/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **कजोड़** की ओर से विचारण न्यायालय–**विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम अधिनियम, टोंक** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**60/2021, सरकार बनाम कजोड़** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **06.06.2023** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम बीस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व

विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में लम्बी अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा विचारण के दौरान भी कुछ समय न्यायिक अभिरक्षा में रहा है, तत्पश्चात् वह जमानत पर आजाद रहा है, वह प्रकरण में लगभग पांच वर्ष की सजा भुगत चुका है। उनका यह भी तर्क रहा है कि विचारण के दौरान पीड़िता के पिता गोपाल पी0डब्ल्यू–26 पक्षद्रोही घोषित हुए हैं जिन्होंने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है तथा गवाह पी0डब्ल्यू–18 श्रीमती मीरा ने अपने बयानों में घटना के बारे में विमल द्वारा बताये जाने का कथन किया है, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह विमल को परीक्षित ही नहीं कराया गया है, गवाहान के कथनों में विरोधाभास है, उक्त सभी तथ्यों पर विचारण न्यायालय द्वारा समग्र रूप से विवेचन–विश्लेषण नहीं किया है, उनका यह भी तर्क है कि प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक एवं योग्य अधिवक्ता परिवादी ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, विचारण के दौरान लेखबद्ध पीड़िता के पिता पी0डब्ल्यू–26, श्रीमती मीरा पी0डब्ल्यू–18 एवं अन्य साक्षीगण के बयानों एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अतः विचारण के दौरान आई साक्षीगण की साक्ष्य की प्रकृति, अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रकरण में भुगती गई लगभग 05 वर्ष की अभिरक्षा अवधि, प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि

अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए (**अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **25.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **कजोड़ पुत्र श्री रतन** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI /12